प-संख्या—122

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982
फाल्गुन 7, शक सम्वत् 1903

### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 654/सत्रह–वि0–1–1 78-81
लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 26 फरवरी, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 4 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो—

(क) राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर है या रहा है; या

(ख) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति है या रहा है; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य है या रहा है; या

(घ) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए किसी महाविद्यालय का प्राचार्य है या रहा है; या

(ङ) कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए किसी महाविद्यालय का अध्यापक है या रहा है।"

नई धारा 31-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"31-क (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

---

No. 654(2)/XVII-V-1—178-81

*Dated Lucknow, February 26, 1982*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Sewa Ayog Sanshodhan Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 1982:

# THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 1982

(U. P. ACT NO. 9 OF 1982)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 4, 1981.

Amendment of section 4 of U. P. Act no. 16 of 1980.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) No person shall be qualified for appointment as Chairman or member unless he is or has been—

(*a*) a person occupying, in the opinion of the State Government, a position of eminence in public life or in judicial or administrative service; or

(*b*) a Vice-Chancellor of any University; or

(*c*) a Professor in any University; or

(*d*) a Principal of a college for a period of not less than ten years; or

(*e*) a teacher of a college for a period of not less than fifteen years."

Insertion of new section 31-A.

3. *After* section 31 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Power to remove difficulties.

"31-A. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed or required to be removed."

U. P. Ordinance no. 25 of 1981.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,
*Sachiv.*

पी०एस० यू० पी०—ए० पी० 362 सा० (विधा०)—27-2-82-(3988)—1982—700 (मेक०)।